<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> <u>जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u>आप. प्रक. क.—505 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—22.06.2015</u> फाईलिंग नं.—234503005702015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

- <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

1—बब्लू उर्फ किशन पिता कृष्णा लाल चोरढे, उम्र 26 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम चकरवाही बाकल, थाना मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—उर्मिला पति नन्दिकशोर हिरवाने, उम्र 42 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम भारी तहसील व थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—फुलवंती पिता नन्दिकशोर, उम्र 19 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम भारी तहसील व थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—दुर्गेश्वरी पति डुलीचंद, उम्र 26 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम भारी तहसील व थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- – – आरोपीगण

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-04/01/2016 को घोषित)</u>

1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324/34, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—12.03.2015 को समय 03.00 बजे, स्थान ग्राम भारी थाना बैहर के अन्तर्गत लोकस्थान पर प्रार्थी नरेन्द्र हिरवाने को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत रूपा हिरवाने के साथ

हाथ—मुक्के से मारपीट कर तथा आहत नरेन्द्र हिरवाने को दांत से काटकर एवं धारदार नाखून से खरोंच कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी नरेन्द्र 2-हिरवाने ने दिनांक-12.03.2015 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम भारी में रहता है एवं मजदूरी का कार्य करता है। वह दिनांक-12.03.2015 को तीन बजे अपनी पत्नी रूपा के साथ घर पर था, तभी उसके रिश्ते का मामा बब्लू तेली आया, जिससे उसने बोला कि उसकी घरवाली की बदनामी क्यों करता है इसी बात को लेकर बब्लू व उसकी माँ उर्मिलाबाई व बहन फुलवंती और दुर्गेश्वरी ने एक राय होकर अश्लील मॉ-बहन की गालियाँ देते हुये उसके साथ हाथ-मुक्को से मारपीट किये तथा दुर्गेश्वरी ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में दांत से काट दिया, फुलवंती ने छाती और गर्दन में नाखून से खरोंचा, उसकी पत्नी रूपा बीच-बचाव करने आई तो उसको भी मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर फूलवंती, दुर्गेश्वरी और उर्मिलाबाई ने हाथ-मुक्को से मारपीट किये और बोले कि आज बच गये है, अगली बार जान से खत्म कर देंगे की धमकी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-19/15, धारा—294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराकर अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत नरेन्द्र हिरवाने की चिकित्सीय रिपोर्ट में उसे दांत से काटने व नाखून से खरोंचे जाने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा-324 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 506, 34 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324/34, 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत नरेन्द्र हिरवाने एवं रूपा हिरवाने ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34

506(भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 / 34 का विचारण पूर्ण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—12.03.2015 को समय 03.00 बजे, स्थान ग्राम भारी थाना बैहर में अन्तर्गत सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नरेन्द्र हिरवाने को दांत से काटकर एवं धारदार नाखून से खरौंच कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :--

फरियादी / आहत नरेन्द्र हिरवाने (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग चार-पांच माह पूर्व दिन के 12.00 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे मॉ-बहन की गालियाँ दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 नहीं बनाया था, किन्तु नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ हाथ-मुक्को से मारपीट की थी एवं आरोपी दुर्गेश्वरी ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में दांत से काट दिया था तथा आरोपी फूलवंती ने उसकी छाती एवं गर्दन में नाखून से खरौंच दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था एवं पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया था तथा उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में पुलिस को दुर्गेश्वरी के द्वारा दाहिने हाथ की कलाई में दांत से काटने व फूलवती के द्वारा छाती एवं गर्दन में नाखून से खरोंचने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसने पुलिस को मात्र गाली-गलौच करने के संबंध में रिपोर्ट लेख कराई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

साक्षी रूपा हिरवाने (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके कथन से लगभग चार-पांच माह पूर्व दिन के 03.00 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका और उसके पति नरेन्द्र का मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसके संबंध में उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके पति नरेन्द्र के साथ मारपीट की थी एवं दुर्गेश्वरी ने उसके पति को दाहिने हाथ की कलाई में दांत से काट दिया था तथा आरोपी फूलवती ने उसके पति को छाती एवं गर्दन में नाखून से खरोंच दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-4 का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उक्त दुर्घटना में आई चोटों का ही ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 7— प्रकरण में अभियोजन ने फरियादी / आहत नरेन्द्र हिरवाने (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है इसके अलावा अभियोजन की ओर से रूपा हिरवाने (अ.सा.2) को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया है, किन्तु उक्त साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपीगण ने तथाकथित रूप से दांत से काटकर एवं धारदार नाखून से खरोंच कर कथित घटना कारित की थी जिस कारण आहत नरेन्द्र हिरवाने को उपहित कारित हुई। साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण के विरूद्ध कथित दांत से काटकर एवं धारदार नाखून से खारोंच कर आहत नरेन्द्र हिरवाने को स्वेच्छया उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नरेन्द्र हिरवाने को दांत से काटकर एवं धारदार नाखून से खरौंच कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय

ATTHER ATT BEET AND ATTHER AND AND ASSESSED AS A STATE OF THE PARTY OF

दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट